Title: Requests the Central Government to start the flood relief work in Kota, Rajasthan and need to provide relief from PM's Relief Fund to the victims died due to the negligence of Kota Municipal Corporation.

श्री रामनारायण मीणा (कोटा) : सभापति महोदय, कोटा नगर निगम ने अपनी किसी भी ज़िम्मेदारी का वहन नहीं किया है। भारत सरकार द्वारा स्वीकृत बाढ़ राहत कार्य जिसका पैसा भारत सरकार देती है, राजस्थान सरकार उस पैसे का उपयोग नहीं कर रही है। १९९५ में जो बाढ़ राहत योजना स्वीकृत हुई थी, उस योजना के तहत कोई काम नहीं करने से, कोटा नगर-निगम की आलस्यपूर्ण नीति से वहां पर दो बच्चों की जानें चली गईं, वह बाढ़ में बह गए और बहुत नुकसान वहां पर हुआ है। मान्यवर सभापति महोदय, उसके बाद

---

* Not recorded

कांग्रेस के जनप्रतिनिधि, नगर निगम के सदस्यों -- अब्दुल रशीद पेपरवाला, राजेन्द्र भारद्वाज और हुक्मचन्द जैन ने, नगर निगम के चेयरमैन तथा वाइस चेयरमैन तथा नगर महापौर और उपमहापौर से जाकर बात करनी चाही। वहां कोई भी नहीं मिला और उन्होंने इसके बाद जनता की आवाज़ को दबाने के लिए, नगर-निगम के सदस्यों की आवाज़ को दबाने के लिए उनके खिलाफ गलत मुकदमे दर्ज किये और राष्ट्रीय संपत्ति के नुकसान जैसे मुकदमे दर्ज करके उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। राजस्थान में एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो सीधे मुकदमे हैं, उनको हटाया जा रहा है और दूसरी तरफ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुकदमे दर्ज किये जा रहे हैं ताकि वह अपनी आवाज़ नहीं उठा सकें, गलत कामों का विरोध नहीं कर सकें। इसलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि बाढ़ राहत योजना के तहत जो भी कार्रवाई राजस्थान के कोटा नगर में की जानी चाहिए थी, उसमें राज्य सरकार फेल हो चुकी है

... (व्यवधान)

अतः वहां बाढ़ राहत का काम किया जाए और जिन दो बच्चों की मौत हुई है, उनको भारत सरकार अपने फंड से रिलीफ दे, प्रधान मंत्री अपने राहत कोष से सहायता दें।

... (व्यवधान)